राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 27/02/2024 को संपन्न 515वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

---00---

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 512वीं, 513वीं एवं 514वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/02/2024, 13/02/2024 एवं 14/02/2024 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 512वीं, 513वीं एवं 514वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/02/2024, 13/02/2024 एवं 14/02/2024 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं बिल्डिंग कंसट्रक्शन संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स खम्हरिया डोलोमाईट डिपोजिट (प्रो.– श्री पवनजय अग्रवाल), ग्राम–खम्हरिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ति (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2936)**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान हैः–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 455055 एवं 12/12/2023 ई.डी.एस. – 27/12/2023 जानकारी प्राप्ति – 23/01/2024	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.66 हेक्टेयर एवं 1,00,000 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	792, 793/1, 793/2, 794/1, 794/2, 801, 802/1, 802/2, 827/1, 827/2, 827/3, 828, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2, 833, 834/1, 838/1, 839/1, 839/3, 865, 866, 867/1, 867/2, 868/1 एवं 868/2	ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान फॉर्म में खसरा क्रमांक 838/1 के स्थान पर खसरा क्रमांक 836 का त्रुटिवश उल्लेख हो गया है। आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेजों में खसरा क्रमांक 838/1 का उल्लेख है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. के दौरान सही खसरा क्रमांक का उल्लेख करते हुये आवेदन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 792, 793/1, 793/2, 794/1, 794/2, 801, 802/1, 802/2, 827/1, 828 श्री प्रदीप टिर्की, खसरा क्रमांक 827/2, 827/3, 831/2, 832/1, 833, 834/1, 839/3, 867/1 श्री ज्ञानचंद अग्रवाल, खसरा क्रमांक 831/1, 832/2, 838/1, 839/1, 865, 866, 867/2, 868/1 एवं 868/2 श्री पवनजय अग्रवाल (आवेदक) के नाम पर है।	सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। खसरा क्रमांक 827/1, 831/1, 832/2, 838/1, 839/1, 865, 866 के भूमि संबंधी दस्तावेज (बी–1, पी–2) एवं सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
बैठक का विवरण	515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/02/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री विद्या भूषण पाठक, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – डोलोमाईट (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 792, 793/1, 793/2, 794/1, 794/2, 801, 802/1, 802/2, 827/1, 827/2, 827/3, 828, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2, 833, 834/1, 838/1, 839/1, 839/3, 865, 866, 867/1, 867/2, 868/1, 868/2 क्षेत्रफल – 4.66 हेक्टेयर क्षमता – 10 वर्षो में कुल उत्पादन 12,82,051.45 टन से अधिक नहीं। दिनांक – 18/10/2018	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–जांजगीर–चांपा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03/12/2049 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – नहीं
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक 03/01/2024 वर्ष 2020–21 में 75,600 टन वर्ष 2021–22 में 81,003 टन वर्ष 2022–23 में 47,467 टन वर्ष 2023–24 (नवम्बर 2023 तक) में 39,113 टन	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत खम्हरिया दिनांक 20/09/2009	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 25/04/2018	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 20/12/2023	06 खदानें, क्षेत्रफल 27.092 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 20/12/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 180 मीटर में आबादी क्षेत्र स्थित है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – श्री पवनजय अग्रवाल अवधि – दिनांक 04/12/2019 से 03/12/2069 तक।	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम–खम्हरिया के खसरा क्रमांक 869/1, 869/2, 870 एवं अन्य 22 के कुल रकबा 11.45 एकड़) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा द्वारा जारी दिनांक 15/02/2022 वनक्षेत्र से दूरी – 6 कि.मी.	संलग्न है।

महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – खम्हरिया 210 मीटर स्कूल ग्राम – बाराद्वार 5 कि.मी., चांपा 22.5 कि.मी. अस्पताल – चांपा 22.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 10 कि.मी. राज्यमार्ग – 11 कि.मी.	हसदेव नदी – 16 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स–** जियोलॉजिकल 26,00,699 टन माईनेबल 12,88,490 टन प्रस्तावित गहराई 27 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 50 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 1,00,000 टन द्वितीय 1,00,000 टन तृतीय 1,00,000 टन चतुर्थ 1,00,000 टन पंचम 1,00,000 टन षष्टम 1,00,000 टन सप्तम 1,00,000 टन अष्टम 1,00,000 टन नवम 1,00,000 टन दशम 1,00,000 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 8,512.5 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 3 मीटर मात्रा – 97,050 घनमीटर	ऊपरी मिट्टी / ओवर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 7 घनमीटर	जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,700 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 13,02,830 रूपये
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 31.752 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सक्ती द्वारा जारी 200 मीटर के प्रमाण पत्र में आबादी 180 मीटर की दूरी में होने का उल्लेख है एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज में ग्राम–खम्हरिया 210 मीटर की दूरी में होने का उल्लेख है। अतः समिति का मत है कि उक्त दूरी संबंधी भिन्नता के संबंध में ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the land documents (B-1 & P-2) of Khasra Number 827/1, 831/1, 832/2, 838/1, 839/1, 865, 866 and consent letter from landowners.

iv. Project proponent shall submit the clarification of nearest habitation distance.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

viii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

ix. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.

x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines

located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स लालवानी ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज (प्रो.– श्री सुनील लालवानी, लालवानी ब्रिक अर्थ क्वारी), ग्राम–पिरैया, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2950)**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs

have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 455355 एवं 14/12/2023 ई.डी.एस. – 27/12/2023 जानकारी प्राप्ति – 23/01/2024	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.574 हेक्टेयर एवं 2,114 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	487, 488, 489/1, 492 एवं 493	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि, भूमि श्रीमती वैजयंती लालवानी के नाम पर है।	सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सुनील लालवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी खसरा क्रमांक – 487, 488, 489/1, 489/2, 490, 491/1, 492 एवं 493 क्षेत्रफल – 1.574 हेक्टेयर क्षमता – 2,114 घनमीटर/वर्ष दिनांक – 03/03/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24/05/2047 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – नहीं
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक – 03/10/2023 वर्ष 2018–19 में 7,71,900 नग 2019–20 में 9,78,000 नग 2020–21 में 6,50,000 नग 2021–22 में 8,00,000 नग 2022–23 (मार्च 2023) में 10,00,000 नग	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पिरैया दिनांक 09/02/2016	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 06/02/2017	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 03/10/2023	1 खदान, क्षेत्रफल 2.254 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 03/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	लीज धारक – मेसर्स लालवानी ब्रिक्स इंडस्ट्रीज, प्रो. – श्री सुनील लालवानी अवधि–25/05/2017 से 24/05/2047	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक	वन क्षेत्र से दूरी– पूर्व में 25 कि.मी., पश्चिम में 60 कि.मी., उत्तर में 55

	08/03/2016	कि.मी. एवं दक्षिण में 45 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – पिरैया 500 मीटर स्कूल – पिरैया 500 मीटर अस्पताल – बिल्हा 15 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 20.2 कि.मी.	नदी – अरपा 315 मीटर
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल रिजर्व्स – जियोलॉजिकल 24,432 घनमीटर माईनेबल 21,142 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50% चिमनी भट्ठा – 910 वर्गमीटर चिमनी की ऊँचाई – 33 मीटर एक लाख ईंट निर्माण हेतु कोयला की मात्रा – 12 टन	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 2,114.25 घनमीटर द्वितीय 2,114.25 घनमीटर तृतीय 2,114.25 घनमीटर चतुर्थ 2,114.25 घनमीटर पंचम 2,114.25 घनमीटर षष्ठम 2,114.25 घनमीटर सप्तम 2,114.25 घनमीटर अष्टम 2,114.25 घनमीटर नवम 2,114.25 घनमीटर दशम 2,114.25 घनमीटर
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – चिमनी भट्ठा, पेड़ एवं ट्यूबवेल होने के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज क्षेत्र की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 645 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
जल आपूर्ति	मात्रा – 5.28 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से।	ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 323 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 8,19,206 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, फ्लाई ऐश एवं कोयले के उचित भण्डारण हेतु टिन शेड का निर्माण, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध

	प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन, जिग–जैग पैटर्न का उपयोग करते हुए ईंट निर्माण, उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.828 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
43	2%	0.86	Following activities at, Govt. Middle school, **Village- Piraiya**	
			Plantation	5.07
			Total	**5.07**

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर वृक्षारोपण (पीपल, नीम, आम, जामुन, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 110 नग पौधों के लिए राशि 8,360 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 85,000 रूपये, खाद के लिए राशि 840 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 72,000 रूपये, अन्य कार्य हेतु राशि 10,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,76,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,31,704 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. वर्तमान में प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन के कॉमन एप्लीकेशन फार्म, फार्म–1, लीज डीड, भू–प्रवेश अनुमति, पर्यावरण प्रबंधन योजना (हिन्दी फार्म), प्री–फिसीबिलिटी रिपोर्ट एवं 200 मीटर के प्रमाण पत्र में खसरा क्रमांक 487, 488, 489/1, 492

एवं 493, क्षेत्रफल 1.574 हेक्टेयर का उल्लेख है। जबकि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति, ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, माईनिंग प्लान, वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र, 500 मीटर के प्रमाण पत्र में खसरा क्रमांक – 487, 488, 489/1, 489/2, 490, 491/1, 492 एवं 493, क्षेत्रफल 1.574 हेक्टेयर का उल्लेख है। समिति का मत है कि उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वर्तमान में प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन के कॉमन एप्लीकेशन फार्म, फार्म–1, लीज डीड, भू–प्रवेश अनुमति, पर्यावरण प्रबंधन योजना (हिन्दी फार्म), प्री–फिसीबिलिटी रिपोर्ट एवं 200 मीटर के प्रमाण पत्र में खसरा क्रमांक 487, 488, 489/1, 492 एवं 493, क्षेत्रफल 1.574 हेक्टेयर का उल्लेख है। जबकि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति, ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, माईनिंग प्लान, वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र, 500 मीटर के प्रमाण पत्र में खसरा क्रमांक – 487, 488, 489/1, 489/2, 490, 491/1, 492 एवं 493, क्षेत्रफल 1.574 हेक्टेयर का उल्लेख है। उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण को एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स लालवानी ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज (प्रो.– श्री सुनील लालवानी, लालवानी ब्रिक अर्थ क्वारी) को ग्राम–पिरैया, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 487, 488, 489/1, 492 एवं 493 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल

क्षेत्रफल–1.574 हेक्टेयर, क्षमता–2,114 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स मित्तल मिनरल्स (पतोरा लाईम स्टोन माईन, प्रो.– श्री अनिल अग्रवाल), ग्राम–पतोरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2964)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 455679 एवं 24/01/2024	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.97 हेक्टेयर एवं 19,380 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 429	संलग्न है।
बैठक का विवरण	515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/02/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/02/2024 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स लक्ष्मी एसोसिऐट्स (यूटोपिया टॉउनशीप प्रोजेक्ट), ग्राम–पोटियाकला, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2238)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/इन्फ्रा2/411321/2022, दिनांक 21/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मनीष पेट्रोल पम्प के सामने, पोटियाकला रोड, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक – 15002/2 (पुराना खसरा क्रमांक 21/1, 13/8 अन्य 14), क्षेत्रफल – 7.0460 हेक्टेयर में से 4.9168 हेक्टेयर, कुल बिल्टअप एरिया–35,567.35 वर्गमीटर में प्रस्तावित टॉउनशीप प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 115 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जसदीप गांधी, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में प्रस्तुत जानकारी में एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में बिल्टअप क्षेत्र एवं अन्य जानकारियों में भिन्नता है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को बिल्टअप क्षेत्र एवं अन्य जानकारियों में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जसदीप गांधी, पार्टनर एवं श्री शशांक खेतान, पार्टनर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 513वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जसदीप सिंह गांधी, पार्टनर एवं श्री शशांक खेतान, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
    - निकटतम आबादी पोटियाकला 1.1 कि.मी., रेलवे स्टेशन दुर्ग 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन माना, रायपुर 48.5 कि.मी है। शिवनाथ नदी 3 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. कार्यालय, सयुंक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2400/न.ग्रा.नि. /धारा–29 /सीजीएडब्ल्यूएएएस /2022 /00088 /2022 दुर्ग, दिनांक 13/05/2022 द्वारा विकास अनुज्ञा जारी की गई है।

3. भवन अधिकारी, नगर पालिका निगम दुर्ग के अनुज्ञा क्रमांक 25, दिनांक 14/10/2022 द्वारा कुल निर्मित क्षेत्रफल 35,567.35 वर्गमीटर हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की गई है। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 13/10/2024 तक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ रियल स्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 के द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार खसरा क्रमांक 15002/2, क्षेत्रफल 4.9168 हेक्टेयर मेसर्स लक्ष्मी एसोसिऐट्स (यूटोपिया टॉउनशीप प्रोजेक्ट) के नाम पर है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 4.9168 हेक्टेयर (7.0460 हेक्टेयर में से)

S. No.	Particulars	Area (in m^2)	Percentage (%)
1.	Plotted area for row houses	23,760.00	48.32
2.	Plotted area for multi (Flats)	1,762.70	3.59
3.	Area for recreational building	1,243.00	2.53
4.	Area reserved for plantation	4,916.80	10.00
5.	Area for road	17,485.50	35.56
Total		**49,168.00**	**100**

7. **बिल्टअप एरिया संबंधी विवरण –**

Details of Row House

S.No.	Plot No.	No. of Plot	Plot area (SQM)	G.F. (SQM)	F.F. (SQM)	S.F. (SQM)	G.R. C.O. %	B.U.A. of 1 Row House (SQM)	FAR	Total B.U.A. (SQM)
1	E1 to E11	11	288	138.80	147.55	112.03	48.19	397.38	1.37	4,371.18
2	E12 to E13	2	288	135.67	143.36	111.35	47.10	390.4	1.35	780.80
3	E14 to E22	9	288	135.67	143.28	111.35	47.10	390.3	1.35	3,512.7
4	P1to P6, P22 to P37 & P56 to 69P	36	216	105.49	90.67	77.90	48.83	274.06	1.26	9,866.16
5	P7 to P21 & P38 to P55	33	216	106.26	90.67	77.90	49.19	274.83	1.27	9,069.39
6	R-1A to R-5A	5	90	57.76	57.76	19.02	64.17	134.54	1.49	642.70
7	R-6A to R-14A	9	90	57.76	57.76	19.02	64.17	134.54	1.49	1,210.86

8	R-1B to R-5B	5	90	57.76	57.76	19.02	64.17	134.54	1.49	642.70
9	R-6B to R 14B	9	90	57.76	57.76	19.02	64.17	134.54	1.49	1,210.86
Total										**31,307.35**

Details of Flats	
Ground Floor Stilit Floor Parking	625.00
First Floor	581.00
Second Floor	581.00
Third Floor	581.00
Fourth Floor	581.00
Fifth Floor	581.00
Sixth Floor	581.00
Seventh Floor	581.00
Eighth Floor (Pent House)	193.00
Total	**4,260.00**

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के लिए उपयोग किये जाने वाले ईंट, सीमेंट, रेत, गिट्टी आदि को ढ़ककर रखा जाना प्रस्तावित है। उक्त का परिवहन ढ़के हुये वाहनों से किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट का उपयोग किया जाएगा। परिसर के भीतर धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

9. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** –

Construction Phase		
1.	Waste materials like MS Rods, Bricks, Concrete, Broken Tiles, wood pieces, cement bags etc	Construction waste will be segregated into recyclable / reusable & discarded material. Recyclable material will be sold to authorized dealers. Re-usable material will be stored under covered conditions at site & reject will be disposed off at the designated location by DMC. Waste will be transported in covered vehicles.
2.	Excavated Soil	Top soil will be stripped off & stored in covered condition. Top soil will be used for landscaping within the project site. Remaining excavated soil will be used within the site for filling & leveling & construction of roads.
3.	Domestic Waste	Domestic waste generated by labor at site will be disposed off through local agencies in the area on daily basis
Operational Phase		
1.	Municipal Solid Waste (368 kg Per Day)	• The solid waste will be segregated at source & collected. • Waste will be collected & stored in a separate covered area & will be disposed by municipal corporation. • Wet waste & landscaping waste will be converted to manure & used for plantation purpose.

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना में कन्सट्रक्शन फेज हेतु जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। ऑपरेशन फेज हेतु कुल 118.47 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 72.93 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लशिंग हेतु 30.79 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण हेतु 14.75 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति नगर नगर निगम के माध्यम से की जाएगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की आपूर्ति नगर पालिक निगम एवं भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग में जल की आपूर्ति हेतु आवेदन किया गया है। भू–जल जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 9 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – घरेलू से 58.34 घनमीटर प्रतिदिन एवं फ्लशिंग से 30.79 घनमीटर प्रतिदिन (कुल 89.13 घनमीटर प्रतिदिन) दूषित उत्पन्न होगा, जिसके उपचार हेतु 125 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (स्क्रीनिंग, 2 नग सेटलिंग टैंक, बैलेसिंग टैंक, 6 नग एनारोबिक बैफ्ल्ड रियेक्टर, 2 नग एनारोबिक फिल्टर, डि–इन्फेक्शन हेतु क्लोरिन टैंक आदि) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल की मात्रा 71.30 घनमीटर प्रतिदिन है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर विभिन्न कार्यो में उपयोग किया जाएगा। उपचारित जल को फ्लशिंग हेतु 30.79 घनमीटर प्रतिदिन, डी.जी. सेट कूलिंग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, रोड एवं व्हीकल क्लिनिंग हेतु 15.76 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 14.75 घनमीटर प्रतिदिन एवं फायर फाईटिंग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तावित परियोजना में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना (कुल रनऑफ की मात्रा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं पिट्स का विवरण, नंबर एवं साईज सहित) कर ले–आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 1,500 किलोवॉट की आवश्यकता होगी। जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 125 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट में संलग्न चिमनी की ऊंचाई 10 मीटर रखा जाएगा।

12. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – हरित पट्टिका के विकास हेतु 4,916.8 वर्गमीटर (10 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के भीतर 1,940 नग

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,94,000 रूपये, खाद के लिए राशि 58,200 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,88,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,40,200 रूपये एवं आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 12,52,880 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
11,500	2% of 100 crore + 1.5% of 15 crore	222.5	Following activities at,	
			Development of Pond at khasra no. 171 of village Devada	45.00
			Eco park at khasra no. 170 of village Devada	192.77
			Total	**237.77**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित किये गये है–

- ग्राम–देवादा के तालाब के गहरीकरण एवं सौन्दर्यकरण के तहत् 1.8 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं 3 मीटर गहराई में खुदाई कार्य हेतु राशि 17,29,140, पिचिंग कार्य एवं घाट के सौन्दर्यकरण हेतु राशि 5,16,750 रूपये इस प्रकार कुल राशि 22,45,890 रूपये हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

  साथ ही तालाब के चारों ओर कुल 500 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (नीम, पीपल, आम, करंज, कदंब, आंवला, अमलताश आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,50,000 रूपये, सिंचाई एवं खाद के लिए राशि 1,65,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 96,000 रूपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 1,00,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 8,61,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 13,94,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अर्थात ग्राम पंचायत देवादा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान खसरा क्रमांक 171 में स्थित तालाब के गहरीकरण एवं चारों ओर वृक्षारोपण हेतु कुल 45,00,890 रूपये व्यय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- ग्राम–देवादा में "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, पीपल, आम, करंज, कदंब, आंवला, अमलताश आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 6,250 नग पौधों के लिए राशि 6,25,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,30,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 16,87,500 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 6,72,000 रूपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 2,50,000 रूपये इस

प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 92,64,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,00,13,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत–देवादा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 170, क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान समय तक प्रोजेक्ट स्थल में सुरक्षा की दृष्टिकोण से अस्थायी बाउण्ड्री वॉल, साईट ऑफिस, सुरक्षा गार्ड रूम तथा कुछ मजदूरों के निवास के लिए अस्थायी कमरें का निर्माण किया गया है एवं प्रोजेक्ट स्थल का समतलीकरण किया गया है। उक्त प्रोजेक्ट में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रोजेक्ट से संबंधित निर्माण कार्य किया जाएगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वर्तमान एवं भविष्य में नहीं किया जाएगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. परियोजना के अंदर वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने एवं ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण कार्य करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित टाउनशीप प्रोजेक्ट के ऑपेरेशनल फेस में आने के पश्चात् दूषित जल के उपचार हेतु एम.बी.बी.आर. आधारित सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट स्थापित किया जायेगा। सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन चेंबर, ऑयल एण्ड ग्रीस चेंबर, इक्वेलाइजेशन टैंक, ब्लोअर, बायोलॉजिकल रिएक्टर, युवी डिसइंफेक्शन, बायोरिएक्टर ट्यूब सेटलर, क्लोरिन डोसिंग, प्रेसर सेंड फिल्टर, सॉफ्टनर एवं स्लज हेण्डलिंग मेकेनिजम आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्य जैसे – फ्लशिंग, लेंड स्केपिंग, डी.जी. कुलिंग आदि में उपयोग में लिया जायेगा। सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जायेगा तथा उस खाद का उपयोग वृक्षारोपण के लिए कर लिया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित टाउनशीप प्रोजेक्ट के विकासोपरांत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु मल्टी कलर बिन/बैग पद्धति अपनाई जायेगी। परियोजना से उत्पन्न ठोस

अपशिष्टों को वैट एवं रिसाइकलेबल के अनुसार संग्रहित किया जायेगा। वैट वेस्ट एवं लैंड स्कैप वेस्ट को 3 नग (क्षमता 1250 कि.ग्रा. प्रतिदिन) नेचुरल प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनिक वेस्ट कर्न्वटर के द्वारा खाद बनाने में किया जायेगा तथा उस खाद का उपयोग वृक्षारोपण के लिए कर लिया जायेगा। रिसाइकलेबल वेस्ट को वेंडर/नगर पालिका निगम के माध्यम से अपवहन किया जायेगा।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित टाउनशीप प्रोजेक्ट में डी.जी. सैट की चिमनी की ऊंचाई 12 मीटर रखना प्रस्तावित है तथा डी.जी. का उपयोग केवल विद्युत अवरोध के समय ही किया जायेगा।

20. सी.ई.आर. कार्य एवं परियोजना परिसर में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्रस्तावित परियोजना में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना (कुल रनऑफ की मात्रा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं पिट्स का विवरण, नंबर एवं साईज सहित) कर ले–आउट में दर्शाते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. मेसर्स लक्ष्मी एसोसिऐट्स (यूटोपिया टॉउनशीप प्रोजेक्ट) को ग्राम–पोटियाकला, तहसील व जिला–दुर्ग में स्थित खसरा क्रमांक–15002/2 (पुराना खसरा क्रमांक 21/1, 13/8 अन्य 14), कुल क्षेत्रफल–4.9168 हेक्टेयर, कुल बिल्टअप एरिया 35,567.35 वर्गमीटर हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स मघोता लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री रामगोपाल नेताम), ग्राम–मघोता, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2442)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/429557/ 2023, दिनांक 20/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मघोता, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक – 57, 58, 240 एवं 241, कुल क्षेत्रफल–1.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 6,840 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/02/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि पर्यावरण स्वीकृति के लिए अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण आदेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स फरहदा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अरूण कुमार नशीने), ग्राम–फरहदा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2450)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/430200/ 2023, दिनांक 22/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–फरहदा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक – 599 एवं 600, कुल क्षेत्रफल–

1.715 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता विस्तार– 30,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(स) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक – 599 एवं 600 श्री मनोज सिंह के नाम पर है।	भू–स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अरूण कुमार नशीने, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 599 एवं 600 क्षेत्रफल – 1.715 हेक्टेयर क्षमता – 15,804 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 14/02/2017 वैधता अवधि – 5 वर्ष	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023

		तक वैध थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ **क्षमता विस्तार के तहत्** – एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 09/02/2024 वर्ष 2018–19 में 850 टन वर्ष 2019–20 में 50 टन वर्ष 2020–21 में 650 टन वर्ष 2021–22 में 150 टन वर्ष 2022–23 में 200 टन	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत फरहदा दिनांक 25/04/2009	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 05/01/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 19/01/2024	2 खदानें, रकबा 2.217 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 19/01/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री अरूण नशीने अवधि – दिनांक 26/11/2009 से 25/11/2039	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 20/02/2024	वन क्षेत्र से दूरी – 9.46 कि.मी. वन्यजीव अभ्यारण्य बारनवापारा – 52.89 कि.मी. टाईगर रिजर्व अचानकमार – 94.85 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – मटिया 750 मीटर स्कूल ग्राम – फरहदा 1.2 कि.मी. अस्पताल – भाटापारा 9 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 23 कि.मी. राज्यमार्ग – 5.3 कि.मी.	नाला – 2.6 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स** –	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 30,000 टन द्वितीय 25,837.5 टन तृतीय 30,000 टन

	जियोलॉजिकल 9,30,375 टन माईनेबल 4,57,559 टन रिकव्हरेबल 4,34,681 टन प्रस्तावित गहराई 25 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 14.9 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	चतुर्थ 30,000 टन पंचम 30,000 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,363 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 832 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – हाईटेंशन पॉवर लाईन टावर होने के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 2.5 मीटर मात्रा – 1,856 घनमीटर **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –** 1,856 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग।	मात्रा – 22,878 घनमीटर **ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –** आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव आदि में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को खनिज विभाग की अनुमति से विक्रय किया जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – भू–जल	भू–जल के उपयोग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 850 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 11,55,350 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर के सेफ्टी जोन में रख कर वृक्षारोपण करने, ओव्हरबर्डन को खनिज विभाग के सहमति से विक्रय करने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.932 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34	2%	0.68	Following activities at, Govt. Primary school, **Village- Farhada**	
			Plantation	1.34
			Total	**1.34**

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर वृक्षारोपण (कटहल, नीम, आम, जामुन, कदंब आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति

अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. ऊपरी मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

7. मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती सतिन्दर कौर), ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2449)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429852/2023, दिनांक 22/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 295, कुल क्षेत्रफल – 0.63 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण --

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/02/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स लो–ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री महेन्द्र प्रसाद गुप्ता), ग्राम–नंदपुरा, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2454)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430454/2023, दिनांक 23/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नंदपुरा, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1463, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–9,750 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार–बार वांछित जानकारी अपूर्ण होने का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 19/07/2023 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 146वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक दो बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगें उसको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि–लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जावेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स सन्नी स्टोन क्रशर (भैंसगांव लाईम स्टोन क्वारी, प्रो.–श्री सतवीर सिंह), ग्राम–भैंसगांव, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2455)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430373/2023, दिनांक 23/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भैंसगांव, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1065/1 एवं 1065/2, कुल क्षेत्रफल–2.02 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–36,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/02/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स के.ए. पाप्पच्चन आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री के.ए. पाप्पच्चन), ग्राम–किरंदुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2463)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430843/ 2023, दिनांक 25/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरंदुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 61, कुल क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,061.10 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 477वीं बैठक दिनांक 20/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रजनीश दुबे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 499वीं बैठक दिनांक 30/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश सोनबर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(स) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री जोविन्स पाप्पचन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 61 क्षेत्रफल – 3 हेक्टेयर क्षमता – 13,139 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 24/07/2018	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/10/2031 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – हाँ
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 18/07/2023 वर्ष 2018–19 में निरंक वर्ष 2019–20 में 1,458 टन वर्ष 2020–21 में 2,267 टन वर्ष 2021–22 में 1,395 टन वर्ष 2022–23 में 2,156 टन	संलग्न है।

नगरपालिका परिषद एन.ओ.सी.	नगर पालिका परिषद किरंदुल दिनांक 16/09/2013	क्रशर की स्थापना के संबंध में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 28/11/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 06/07/2023	3 खदानें, रकबा 6.45 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 06/07/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। उत्तर दिशा में ग्रामीण सड़क स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री के.ए. पाप्पच्चन अवधि – दिनांक 16/10/2001 से 15/10/2031 तक	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मण्डल, दंतेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 03/07/2001	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – किरंदुल 2 कि.मी. स्कूल ग्राम – किरंदुल 2 कि.मी. अस्पताल – किरंदुल 2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 16.3 कि.मी. राज्यमार्ग – 2.3 कि.मी.	कोयर नदी – 300 मीटर कोयर नाला – 110 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ रिजर्व्स – जियोलॉजिकल 11,80,478 टन माईनेबल 6,67,737 टन रिकव्हरेबल 6,34,350 टन प्रस्तावित गहराई 18 मीटर (18 मीटर हिललॉक) बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 50 वर्ष वर्तमान में स्थापित क्रशर – हाँ क्रशर का क्षेत्रफल – 1,362 वर्गमीटर	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 13,123.5 टन द्वितीय 13,123.5 टन तृतीय 13,123.5 टन चतुर्थ 13,123.5 टन पंचम 13,123.5 टन
उत्खनन के लिए	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,122	उत्खनित – हाँ

प्रतिबंधित क्षेत्र	वर्गमीटर	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ रेस्टोरेशन प्लान – हाँ
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 1,362 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – क्रशर होने के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी / ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना		पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ऊपरी मिट्टी /ओव्हर बर्डन अवस्थित नहीं है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – भू–जल	भू–जल के उपयोग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,045 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 12,35,950 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 9.45 हेक्टेयर है।

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

   iv. Project proponent shall submitthe NOC from concern department for Crusher establishment and details of pollution control arrangement in crusher.

   v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

   vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

   vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

   ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

   x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. **मेसर्स जॉविंस पाप्पच्चन आर्डिनरी स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.–श्री जोविंस पाप्पच्चन), ग्राम–किरंदुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2471)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430926/ 2023, दिनांक 26/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरंदुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 61, कुल क्षेत्रफल–2.23 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–39,174 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 477वीं बैठक दिनांक 20/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रजनीश दुबे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 499वीं बैठक दिनांक 30/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमलजीत सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all

such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

(स) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री जोविन्स पाप्पचन, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 61 क्षेत्रफल – 2.23 हेक्टेयर क्षमता – 43,110 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 08/09/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28/11/2034 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – हाँ
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 18/07/2023 वर्ष 2018–19 में निरंक वर्ष 2019–20 में 1,075 टन वर्ष 2020–21 में 987 टन वर्ष 2021–22 में 1,822 टन वर्ष 2022–23 में 1,480 टन	संलग्न है।
नगरपालिका परिषद एन.ओ.सी.	नगरपालिका परिषद किरंदुल दिनांक 16/09/2013	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 16/08/2017	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 06/07/2023	3 खदानें रकबा 7.22 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 06/07/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। उत्तर दिशा में ग्रामीण सड़क स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री जोविन्स पाप्पच्चन अवधि – दिनांक 29/11/2004 से 28/11/2034	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मण्डल, दंतेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 21/07/2014	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – किरंदुल 2 कि.मी. स्कूल ग्राम – किरंदुल 2 कि.मी. अस्पताल – किरंदुल 2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 16.3 कि.मी. राज्यमार्ग – 2.3 कि.मी.	कोयर नदी – 250 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 13,74,030 टन माईनेबल 7,91,625 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 18 वर्ष स्थापित एवं प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन** प्रथम 43,110 टन द्वितीय 43,110 टन तृतीय 43,110 टन चतुर्थ 43,110 टन पंचम 43,110 टन षष्टम 41,235 टन सप्तम 41,235 टन अष्टम 41,235 टन नवम 41,235 टन दशम 39,637 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,787 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना		पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ऊपरी मिट्टी /ओव्हर बर्डन अवस्थित नहीं है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – भू–जल	भू–जल के उपयोग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,275 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 13,25,140 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 9.45 हेक्टेयर है।

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology Issued by MoEF&CC.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost,

fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. **मेसर्स के.ए. पाप्पच्चन आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री के.ए. पाप्पच्चन), ग्राम–किरंदुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2470)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430919/2023, दिनांक 26/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरंदुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 61, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षैमता–50,331 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 477वीं बैठक दिनांक 20/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रजनीश दुबे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 499वीं बैठक दिनांक 30/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश सोनबर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(स) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री जोविन्स पाप्पचन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 61 क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर क्षमता – 52,980 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 08/09/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12/05/2035 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 550 नग
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 18/07/2023 वर्ष 2018–19 में 492 टन वर्ष 2019–20 में 2,066 टन वर्ष 2020–21 में निरंक वर्ष 2021–22 में 552 टन	संलग्न है।

	वर्ष 2022–23 में 635 टन	
नगरपालिका परिषद एन.ओ.सी.		उत्खनन के संबंध में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 16/08/2017	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 06/07/2023	3 खदानें, रकबा 7.45 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 06/07/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। उत्तर दिशा में ग्रामीण सड़क स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री के.ए. पाप्पच्चन अवधि– 13/05/2005 से 12/05/2035	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल, दंतेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 21/07/2014	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – किरंदुल 2 कि.मी. स्कूल ग्राम – किरंदुल 2 कि.मी. अस्पताल – किरंदुल 2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 16.3 कि.मी. राज्यमार्ग – 2.3 कि.मी.	कोयर नदी – 150 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 6,78,823 टन माईनेबल 4,40,728 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष स्थापित एवं प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन** प्रथम 30,065 टन द्वितीय 30,075 टन तृतीय 52,980 टन चतुर्थ 52,980 टन पंचम 52,980 टन षष्टम 52,980 टन सप्तम 42,150 टन अष्टम 42,150 टन नवम 42,150 टन दशम 42,150 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,215 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना		पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ऊपरी मिट्टी /ओव्हर बर्डन अवस्थित नहीं है।

जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 890 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 11,70,480 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 9.45 हेक्टेयर है।

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the NOC from concern authority for mining.

iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन (गिनी देवी गोयल मनीपाल हॉस्पिटल्स), ग्राम–परसुलीडीह एवं बरोंदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 2546)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/ 435032/ 2023, दिनांक 30/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित हॉस्पिटल ग्राम–परसुलीडीह स्थित खसरा क्रमांक 325/29, 326/3, 326/4, 327/45 तथा ग्राम–बरोंदा स्थित खसरा क्रमांक 37/6, 37/10, 37/11, 38/6, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 41/1, 45/3, 45/4, 45/6, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1 एवं 47/2, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–38,652.16 वर्गमीटर में प्रस्तावित बिल्टअप एरिया–42,489.63 वर्गमीटर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 120 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रवण कुमार गोयल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना की कुल लागत 250 करोड़ रूपये के स्थान पर 120 करोड़ रूपये है। ऑनलाईन आवेदन के दौरान ब्रुटिवश फार्म में 250 करोड़ रूपये का उल्लेख हो गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल प्रोजेक्ट की लागत का ब्रेकअप प्रस्तुत किया गया है। अतः परियोजना की कुल लागत 120 करोड़ रूपये मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना की कुल लागत 250 करोड़ रूपये के स्थान पर 120 करोड़ रूपये होने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। समिति का मत है कि निकटतम स्थित आबादी, स्कूल, अस्पताल, विमानपत्तन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की दूरी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
3. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि मेसर्स गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन के नाम पर है।
4. **लेण्ड यूज स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल–38,652.16 वर्गमीटर में से सड़क मार्ग की चौड़ाई के कारण 845.2 वर्गमीटर क्षेत्र प्रभावित होगा।

S.No.	Land use	Area (sq.m)	Percentage (%)
1.	Ground Coverage area	11,342.30	30.00
2.	Internal roads and pathway	16,721.60	44.23
3.	Open Parking area	5,962.40	15.77
4.	Green Belt area	3,780.80	10.00
	Total	**37,807.52**	**100**

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (sq.m)
1.	Hospital Building	27,755.21
2.	Nursing College	2,482.48
3.	Hotel Block	2,451.62
4.	Nursing Hostel	1,416.17
5.	Doctors Apartment	1,335.28
6.	Total Built-up Area (A)	35,440.76
7.	Total Parking (B)	7,048.87
	Total (A+B)	**42,489.63**

6. फ्लोर संबंधी विवरण –

S.No.	Floor	Area in Sq.m						
		Hospital Building	**Nursing college**	**Hotel block**	**Nursing hostel**	**Doctors apartment**	**Total Built-up area (A)**	**Total Parking (B)**
1.	Basement – 2 (BUP – 1610.92 + Stack parking – 3042.68 Sq.m)	1610.92	–	–	--	--	1610.92	3042.68
2.	Basement – 1 (BUP – 1979.96 + Stack parking – 2496.53 Sq.m)	1979.96	--	--	–	--	1979.96	2496.53
3.	Ground floor (Parking) / Stilt floor	--	544.99	553.48	--	411.19	–	1509.66
4.	Ground Floor	3563.20	--	–	458.31	–	4021.51	
5.	Floor - 1	4214.81	663.72	676.71	320.06	333.82	6209.12	
6.	Floor - 2	3740.34	454.69	437.27	318.90	333.82	5285.02	
7.	Floor - 3	3654.85	454.69	445.88	318.90	333.82	5208.14	
8.	Floor - 4	2984.74	454.69	445.88	--	333.82	4219.13	
9.	Floor - 5	2984.74	454.69	445.88	–	–	3885.31	
10.	Floor - 6	3021.65	--	–	--	–	3021.65	
	Total	**27755.21**	**2482.48**	**2451.62**	**1416.17**	**1335.28**	**35440.76**	**7048.87**

7. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं के उपयोग हेतु अनुमानित कुल 3,000 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।

8. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपठनीय है।

9. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर से भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Basement-1, Basement-2 एवं Ground floor में वाहनों के पार्किंग हेतु गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 354 Equivalent Car Space (ECS) की आवश्यकता होगी। उक्त हेतु 605 Equivalent Car Space (ECS) रखा जाना प्रस्तावित है।

12. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढ़क कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

13. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** –

S.N.	Waste	Quantity	Disposal
1.	Municipal Solid Waste	1,192.5 Kg/day	The garbage will be segregated at source through collection bins into Bio-degradable waste and Non Bio-degradable waste. Plastic waste will be given to the waste recyclers and bio-degradable waste will be disposed to the Municipal corporation bins. Kitchen and food waste generated will be bio-composted within the project site premises and will be used as manure for greenbelt development.
2.	Bio-medical waste	187.5 Kg/day	Will be disposed as per Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules
3.	Sludge from STP	42.7 Kg/day	Stored in HDPE bags and will be used as manure /given to farmers.
4.	Waste Oil	100 Liter / Annum	Will be given to SPCB approved vendors.

14. **जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन** –

Category	Quantity	Types of waste	Disposal
Yellow	approx 108.75 kg/day	Human anatomical wastes, Soiled wastes, expired or discarded medicines, chemical waste and liquid chemical waste, discarded bed sheets mattress, gown, masks, Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory wastes.	Waste will be segregated in a Yellow bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Red	approx 37.5 kg/day	Contaminated plastic wastes.	Waste will be segregated in a Red bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
White	approx 11.25 kg/day	Waste sharps including metals.	Waste will be segregated in a White bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Blue	approx 30 kg/day	Metallic body Implants and glasswares.	Waste will be segregated in a Blue bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Total	**187.5 kg/day**		

15. अस्पताल में जनित होने वाले ई–वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट एवं रेडियोलॉजी वेस्ट के उचित अपवहन के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

16. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत –** परियोजना हेतु कुल 497 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 228 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लशिंग हेतु 129 घनमीटर प्रतिदिन, किचन हेतु 45 घनमीटर प्रतिदिन, लैब हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, लाउण्ड्री हेतु 55 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लोर वाशिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन तथा फिल्टर/आर.ओ. बेक वॉश 15 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति नगर पालिका/भू–जल के माध्यम से की जाएगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की आपूर्ति हेतु पाईप लाईन कनेक्शन के लिए जोन कमिश्नर, नगर पालिक निगम, रायपुर एवं भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति हेतु अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण –** कंस्ट्रक्शन फेज में दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का निर्माण किया जाएगा। ऑपरेशनल फेज में दूषित जल की मात्रा 427 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 2 नग 250 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत स्क्रीनिंग, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, सीवेज कलेक्शन कम इक्विलाइजेशन टैंक, एमबीबीआर रिएक्टर, ट्यूब सेटलर, सर्ज टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लज ड्राईंग बेड/स्लरी कलेक्शन टैंक आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर फ्लशिंग, वृक्षारोपण आदि हेतु उपयोग किया जाएगा तथा शेष दूषित जल को नगर पालिका के ड्रेन में डिस्चार्ज किया जाएगा। समिति का मत है कि डिसइन्फेक्शन हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन –** परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वाटर हार्वेस्टिंग** – परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 22,505.18 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 13 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

17. **विद्युत खपत –** परियोजना हेतु 4,500 के.डब्ल्यू.एच. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा।

समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं संलग्न चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – हरित पट्टिका के विकास हेतु 3,780.8 वर्गमीटर (10 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – आंतरिक स्थानों पर एल.ई.डी. लाईट प्रयुक्त किया जाना प्रस्तावित है। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है। कुल रूफ एरिया के एक तिहाई भाग में सोलर पैनल की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12000	2% for 100 Cr. + 1.5% for 20 Cr.	230	Following activities at Proposed Land	
			Eco Park Nirman	230
			Total	**230**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु उपयुक्त प्रस्ताव (गणना सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ईको पार्क निर्माण हेतु शासकीय भूमि की उपलब्धता के संबंध में संभागीय वन अधिकारी, रायपुर डिविजन एवं सरपंच ग्राम पंचायत बरोंदा तथा नगर निगम, रायपुर को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। अतः समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के लिए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु संभागीय वन अधिकारी, रायपुर डिविजन / सरपंच, ग्राम पंचायत बरोंदा / नगर निगम, रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना की कुल लागत 250 करोड़ रूपये के स्थान पर 120 करोड़ रूपये होने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. निकटतम स्थित आबादी, स्कूल, अस्पताल, विमानपत्तन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की दूरी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. प्रस्तावित परियोजना के ले–आउट प्लान की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर से भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. अस्पताल में जनित होने वाले ई–वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट एवं रेडियोलॉजी वेस्ट के उचित अपवहन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. जल की आपूर्ति की अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
8. डिसइन्फेक्शन हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं संलग्न चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
10. परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
11. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के लिए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (कम से कम 90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु संभागीय वन अधिकारी, रायपुर डिविजन / सरपंच, ग्राम पंचायत बरोंदा / नगर निगम, रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
12. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परिसर क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का कम से कम सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के बैठक क्रमांक 484वीं, दिनांक 25/08/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 02/11/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना की कुल लागत 120 करोड़ रूपये की विस्तृत जानकारी सहित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना स्थल से निकटतम आबादी, स्कूल, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों के नाम एवं दूरी का उल्लेख करते हुये जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. प्रस्तादित परियोजना के ले-आउट प्लान की पठनीय प्रति प्रस्तुत किया गया है।
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ज्ञापन कमांक 2588/नग्रानि/धारा-29/सी.जी./आर.पी.आर./टी.एन.सी.पी./2023/0051/ 2023 रायपुर, दिनांक 23/08/2023 द्वारा कुल रकबा 3.932 हेक्टेयर हेतु जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से 03 वर्ष तक प्रभावशील है। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल रकबा 3.865 हेक्टेयर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी विकास अनुज्ञा अनुसार कुल रकबा 3.932 हेक्टेयर है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।
5. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ज्ञापन कमांक /सी.जी./आर.पी.आर./बी.पी.सी./2023/0496/2023, दिनांक 05/10/2023 द्वारा कुल बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर हेतु जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से 03 वर्ष तक प्रभावशील है। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्र 42,489.63 वर्गमीटर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी भवन निर्माण अनुज्ञा अनुसार बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित अस्पताल से जनित होने वाले ई-वेस्ट का अपवहन सी.पी.सी.बी./एस. पी.सी.बी. के ई-वेस्ट (मैनेजमेंट) नियम, 2016 के तहत् किया जाएगा।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित अस्पताल से जनित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का अपवहन सी.पी.सी.बी./एस.पी.सी.बी. के बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 2016 के तहत् किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित अस्पताल से जनित होने वाले रेडियोलॉजी वेस्ट का अपवहन बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के तहत् किया जाएगा।

7. जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। वर्तमान में सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रकियाधीन है।

8. डिसइन्फेक्शन हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

9. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1,250 के.व्ही.ए. का 3 नग डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा, जिसकी चिमनी की ऊंचाई सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप रखी जाएगी।

10. परिसर के भीतर 300 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,40,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,00,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 8,40,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 21,90,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

11. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कुल राशि 2 करोड़ 30 लाख रूपये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आयुक्त, नगर निगम रायपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 565, कुल रकबा 5 एकड़ में से 2.8 एकड़) में कुल 34,000 नग पौधों के वृक्षारोपण किये जाने एवं 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण अनुसार कुल राशि 1,34,69,156 रूपये का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कुल राशि 2 करोड़ 30 लाख रूपये की शेष राशि 95,30,844 रूपये का अन्य स्थान पर ईको पार्क का पृथक से विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परिसर क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का कम से कम सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तावित परियोजना स्थल से निकटतम आबादी, स्कूल, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, नदी एवं नहर आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों के नाम एवं दूरी का उल्लेख करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल रकबा 3.865 हेक्टेयर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी विकास अनुज्ञा अनुसार कुल रकबा 3.932 हेक्टेयर है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्र 42,489.63 वर्गमीटर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी भवन निर्माण अनुज्ञा अनुसार बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कुल राशि 2 करोड़ 30 लाख रूपये में से राशि 1,34,69,156 रूपये का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है। शेष राशि 95,30,844 रूपये का अन्य स्थान पर ईको पार्क का पृथक से विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/01/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तावित परियोजना स्थल से निकटतम आबादी एवं स्कूल ग्राम–बरोदा 1.6 कि.मी., अस्पताल ग्राम–बरोदा 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.3 कि.मी., राज्यमार्ग 29 कि.मी., नहर 900 मीटर दूर है।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल रकबा 3.865 हेक्टेयर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी विकास अनुज्ञा अनुसार कुल रकबा 3.932 हेक्टेयर है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के समय कुल रकबा 3.865 हेक्टेयर प्रदर्शित किया गया था जो कि प्रस्तावित क्षेत्रफल था, तदानुसार विकास अनुज्ञा के लिए भी आवेदन किया गया था किन्तु विकास अनुज्ञा में प्रस्तावित रोड के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त रकबा 0.067 हेक्टेयर जो की पहले से ही संस्थान के अधिग्रहण में है, को सम्मिलित किया गया है। जिससे कुल रकबा 3.932 हेक्टेयर विकास अनुज्ञा में दर्शित हुआ है।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्र 42,489.63 वर्गमीटर के लिए ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि जारी भवन निर्माण अनुज्ञा अनुसार बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्र 42,489.63 वर्गमीटर के लिए आवेदन किया गया है, जिसमे अस्पताल के अलावा अन्य भवन (नर्सिंग कॉलेज, हॉस्टल, डॉक्टर ब्लॉक इत्यादि) का बिल्टअप क्षेत्र भी सम्मिलित किया गया है, किन्तु वर्तमान व्यावसायिक व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रारम्भिक वर्षों में

केवल अस्पताल का ही निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा कुल बिल्टअप क्षेत्र 26,336.18 वर्गमीटर के लिए ही आवेदन किया गया था एवं तदनुसार सयुंक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की गई हैं।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12000	2% for 100 Cr. + 1.5% for 20 Cr.	230	Following activities at Proposed Land	
			Miyawaki Plantation	134.69
			Oxyzone cum recreational park	95.31
			Total	**230**

5. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कुल राशि 2 करोड़ 30 लाख रुपये के निवेश की कार्ययोजना – आवेदित संस्थान को सी.ई.आर. के तहत् कुल रकबा 5 एकड़ भूमि खसरा नं. 565 खमतराई ग्राम गोंडवरा, पटवारी हल्का नं. – 00037, राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर 5 भनपुरी, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर में रायपुर नगर निगम के द्वारा पत्र के माध्यम से आबंटित की गई हैं, जिसमें से परियोजना क्रमांक 1 के अनुसार कुल राशि 1,34,89,156 रुपये के व्यय से कुल रकबा 2.8 एकड़ भूमि में मियावकी पद्धति के अनुरूप 34,000 वृक्षारोपण किया जायेगा।

परियोजना क्रमांक 2 के अनुसार शेष भूमि 2.2 एकड़ में कुल राशि 95,30,844 रुपये के व्यय से एक ऑक्सीजोन एवं मनोरंजन पार्क का निर्माण किया जायेगा। उक्त ऑक्सीजोन एवं मनोरंजन पार्क के निर्माण हेतु रायपुर नगर निगम के द्वारा पत्र के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई हैं, जिसके अनुसार सी.ई.आर. के अंतर्गत "ऑक्सीजोन कम रिक्रियेशन पार्क" के तहत् (आम, जामुन, अमरूद, आंवला, पीपल, नीम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार (1) प्रथम वर्ष में 2,500 नग पौधों के लिए राशि 10,00,000 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 15,00,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 6,30,000 रूपये, ईको पार्क निर्माण (बेंच, झुला, लेण्ड स्कैपिंग, पाथवे, ड्रिकिंग वाटर फेसिलिटी, टॉयलेट्स, सोलर लाईट्स) के लिए राशि 18,00,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 49,30,000 रूपये तथा (2) द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 2,500 नग प्रतिवर्ष पौधों के लिए राशि 10,00,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 6,50,844 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 16,50,000 रूपये प्रतिवर्ष (3) चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में रख–रखाव के लिए राशि 6,50,000 रूपये प्रतिवर्ष, इस प्रकार 05 वर्षों हेतु कुल राशि 95,30,844 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेसर्स गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन (गिनी देवी गोयल मनीपाल हॉस्पिटल्स) को ग्राम–परसुलीडीह एवं बरोंदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर में ग्राम–परसुलीडीह स्थित खसरा क्रमांक 325/29, 326/3, 326/4, 327/45 तथा ग्राम–बरोंदा स्थित खसरा क्रमांक 37/6, 37/10, 37/11, 38/6, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 41/1, 45/3, 45/4, 45/6, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1 एवं 47/2, कुल क्षेत्रफल–38.652.16 वर्गमीटर, कुल बिल्टअप एरिया 42,489.63 वर्गमीटर हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स कोट आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती रूचि जायसवाल), ग्राम–कोट, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1979)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 264836/2022, दिनांक 31/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोट, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 254 एवं 255, कुल क्षेत्रफल–1.81 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 9,975.84 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरूण कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 254 एवं 255, कुल क्षेत्रफल – 1.81 हेक्टेयर, क्षमता–9,975.84 टन (3,695 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 30/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई थी।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1480/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	657
2018	1,238
2019	3,305
2020	2,700
2021	2,045

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सरईगहना का दिनांक 14/04/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 20/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 04/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1481/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.62 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1482/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती रूचि जायसवाल के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/04/2017 से 06/04/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1246 बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/05/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. दूर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोट 900 मीटर, स्कूल ग्राम–कोट 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बैकुण्ठपुर 7.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.7 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं धनूहारी नाला 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – पूर्व में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,44,350 टन (90,500 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,09,222 टन (40,452 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 98,300 टन (36,407 घनमीटर) था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,14,515 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 71,448 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,268.68 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,505.48 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,517.84	षष्टम	9,975.84
द्वितीय	9,975.84	सप्तम	9,975.84
तृतीय	9,975.84	अष्टम	9,975.84
चतुर्थ	9,975.84	नवम	9,975.84
पंचम	9,975.84	दशम	9,975.84

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.91 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत एवं भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,054 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें से वर्तमान में 350 नग पौधे का रोपण किया गया है। शेष 704 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 35,200 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 85,900 रूपये, खाद के लिए राशि 52,700 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,10,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,83,800 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 10,42,800 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

		Rupees)		(In Lakh Rupees)
9.98	2%	0.20	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village-Kot**	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.25
			Running Water Facility for Toilet	0.18
			Total	**0.43**

16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में "भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F.No.IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), दिनांक 08/06/2022 के अनुसार सिर्फ वर्तमान में विद्यमान किसी पर्यावरण स्वीकृति के क्षमता विस्तार से संबंधित प्रकरणों में सर्टिफाईड कंप्लायंस रिपोर्ट लिया जाना अनिवार्य किया गया है।" का उल्लेख है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F.No.IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), दिनांक 08/06/2022 के अनुसार क्षमता विस्तार के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में सर्टिफाईड कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं लिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 25/11/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर में आवेदन दिनांक 30/11/2022 को किया जाना बताया गया है।

परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19/03/2023 को समाप्त होने वाली है। अतः उक्त जानकारी प्राप्त होने पर एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति का मत है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/01/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 952, दिनांक 04/08/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सभी शर्तो का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।
2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के

पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1481/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.62 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कोट) का क्षेत्रफल 1.81 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कोट) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.43 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना से संबंधित समस्त शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. मेसर्स कोट आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती रूचि जायसवाल) को ग्राम–कोट, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 254 एवं 255 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.81 हेक्टेयर, क्षमता–9,975 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स स्टारएक्स मिनरल्स (गोड़पेण्ड्री लाईम स्टोन माईन, प्रो.– श्री वजीर सिंह), ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1836)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 231865/2021, दिनांक 29/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/439781/2023, दिनांक 14/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 342, 347, 348, 349/2, 350, 355, 357, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 360, 492/1, 492/2, 356/1 एवं 356/2, कुल क्षेत्रफल–4.78 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–4,99,346 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 124, दिनांक 29/04/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 492वीं बैठक दिनांक 13/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल कुमार शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोड़पेण्ड्री का दिनांक 15/03/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4452/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2020(2) नवा रायपुर, दिनांक 23/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 865/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 23 खदानें, क्षेत्रफल 51.87 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 866/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय एवं राज्यमार्ग आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। तालाब एवं नहर–नाली 200 मीटर की परिधि में स्थित है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. मेसर्स स्टारएक्स मिनरल्स के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 342/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 08/06/2021 द्वारा

एल.ओ.आई. जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संयुक्त–संचालक (खनिज प्रशासन), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4634/खनि–2/न.क्र. 49/2023 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार **"आशय पत्र की वैधता वृद्धि हेतु माननीय न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म के समक्ष यह पुनरीक्षण किया गया है।"** होना बताया गया है। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4824 दुर्ग, दिनांक 09/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी. दूर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोंडपेण्ड्री 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–गोंडपेण्ड्री 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल सेलूद 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,70,500 टन, माईनेबल रिजर्व 14,95,300 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 14,20,535 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,400 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.15 मीटर, मात्रा 6,660 घनमीटर है। ओवर बर्डन की मोटाई 0.85 मीटर, मात्रा 44,396 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,76,700
द्वितीय	3,20,626
तृतीय	4,23,586
चतुर्थ	4,99,346

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,480 नग (नीम, आम, करंज एवं जामुन आदि) वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,12,480	11,248	11,248	11,248	11,248
फेंसिंग हेतु राशि	2,30,300	–	–	–	–
खाद हेतु राशि	11,100	1,110	1,110	1,110	1,110
सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	2,76,000	2,26,000	2,26,000	2,26,000	2,26,000
कुल राशि = 14,53,000	**6,29,880**	**2,38,358**	**2,38,358**	**2,38,358**	**2,38,358**

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नही किया गया है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये मॉनिटरिंग हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**:–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	25.18	43.18	60
PM_{10}	43.61	66.45	100
SO_2	9.13	14.48	80
NO_2	10.05	18.13	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता**:– ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	45.11	60.21	75
Night L_{eq}	31.04	49.11	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1,050 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.18 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 210 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 1,260 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.21 होगी। रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 17/04/2023, अपरान्ह 12:00 बजे, स्थान– शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, ग्राम–गोंड़पेन्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. पहले से ही गांव में 25 खदान है, जिसका प्रभाव ग्रामवासी झेल रहे हैं, खदान नहीं खोलना चाहिए, यह स्कूल के सामने है। खदान से गांव को काफी नुकसान हो रहा है।

ii. खदानों के कारण से धूल–मिट्टी उड़ता है, खदान संचालक द्वारा पेड़ लगाने एवं जल छिड़काव आदि करने का वादा करते है, लेकिन कोई जल छिड़काव नहीं करते है।

iii. खदानों में अवैध उत्खनन से गहराई तक उत्खनन हो रहा है, जिससे पेयजल स्तर गिरता जा रहा है, भविष्य में हमको पेयजल नहीं मिल पायेगा।

iv. खदान में होने वाले ब्लास्टिंग से गांव वाले प्रभावित हो रहे हैं, घरों में पत्थर गिरता है तथा खदान के वजह से खेत में अनाज पैदा नहीं हो पा रहा है। किसान खेत बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

v. तालाब गन्दा हो रहा है, जिसमें नहाया भी नहीं जा सकता। खदान से प्रदूषण की समस्या होती है, सड़को पर पानी भी नहीं डाला जाता।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान गांव से 1 कि.मी. दूरी पर है, जिससे गांव को कोई नुकसान नहीं होगा। इस खदान में रोजगार हेतु गांव के लोंगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

ii. हमारा खदान गांव से काफी दूरी पर है, जिससे गांव को कोई नुकसान नहीं होगा। खदान से धूल डस्ट नहीं आये इसके लिए पानी का छिड़काव एवं अधिक–अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा।

iii. माईनिंग प्लान अनुसार ही उत्खनन कार्य किया जाएगा। खनन की गहराई भू–जल स्तर तक नहीं पहुंचेगा।

iv. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। जिससे गांव या बस्ती को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा।

v. खदान तालाब से काफी दूर है, तो इससे तालाब को कोई नुकसान नहीं होगा। खदान में फेसिंग करा कर चारों तरफ वृक्षारोपण करेंगे हम दिन में जरूरत के हिसाब से पानी छिड़काव कच्ची सड़कों पर करेंगे तथा ट्रकों को खदान से ढ़क कर निकाला जाएगा ।

18. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 24 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 10 कि.मी.	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000
10000 मीटर लम्बे पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (3,333 नग) वृक्षारोपण (नीम, आम, करंज एवं जामुन आदि) हेतु	58,92,698	6,75,798	6,75,798	6,75,798	6,75,798
सड़क/पहुँच मार्ग के रख–रखाव हेतु	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
हेल्थ चेकअप केम्प्स फॉर विलेजर्स एवं अन्य खर्च	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
कुल राशि = 1,15,35,890	**64,80,698**	**12,63,798**	**12,63,798**	**12,63,798**	**12,63,798**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 842 मीटर, सड़क/पहुँच मार्ग के रख–रखाव हेतु एवं हेल्थ चेकअप केम्प्स फॉर विलेजर्स	49,612	49,612	49,612	49,612	49,612
842 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (280 नग) वृक्षारोपण(नीम, आम एवं करंज आदि) हेतु	3,44,242	97,194	97,194	97,194	97,194
कुल राशि = 9,81,078	**3,93,854**	**1,46,806**	**1,46,806**	**1,46,806**	**1,46,806**

19. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
135	2%	2.70	Following activities at, **Village- Gondpendri**	
			Pavitra Van Nirman	16.819
			Total	**16.819**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम गोड़पेण्ड्री पर (आम, नीम, कदम, पीपल, अमलताश, आंवला एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 76,000 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 2,10,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये, ओपन जिम उपकरण के लिए राशि 1,00,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,91,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,84,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,97,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गोड़पेण्ड्री के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 718/1, क्षेत्रफल 0.43 हेक्टेयर के कुछ भाग में) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

21. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

22. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

23. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.15 मीटर, मात्रा 6,660 घनमीटर है, जिसमें से 4,320 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में

फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 2,340 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को समीपस्थ स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 362/2, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) क्षेत्र में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा। ओवर बर्डन की मोटाई 0.85 मीटर, मात्रा 44,396 घनमीटर है, जिसे समीपस्थ स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 362/2, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) क्षेत्र में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा। समिति का मत है कि पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन का भण्डारण हेतु डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न करते हुये ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा लोक सुनवाई के दौरान दिए गए समस्त आश्वासन पुरे किए जाएगें।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान में स्थानीय लोगों एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अंदर जो भी राशि तय की जाएगी उस राशि को पर्यावरण के हित में कार्य करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ 7.5 मीटर की बाउंड्री छोड़ी गई है, उस पर फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण का कार्य करने तथा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यो की जानकारी जियोटेग फोटोग्राफ सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ ही उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़नें पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तो का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन का कार्य नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षो तक रख–रखाव किया जायेगा।

40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी (ई.सी.) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रीब्यूनल (एन.जी.टी.) और किसी भी अन्य न्यायालय के आदेश/निर्णय के अधिन है, सामान्य कारण की शर्ते जो लागू हो सकती है उन सभी शर्तो का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

41. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

42. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि MOEF&CC के OM No Z-11013/57/2014- IA.II(M), दिनांक 29/10/2014 द्वारा दिए गए शमन उपायों का पालन करेंगे, जिसके अनुसार बस्तियों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव– खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिनमें बस्तियां और गांव शामिल हैं, खदान पट्टा क्षेत्रों या बस्तियों का हिस्सा पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए है।

43. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खनन पट्टे के स्वामित्व में किसी भी बदलाव के लिए MOEF&CCSEIAA को सूचित किया जायेगा, यदि स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है या खनन पट्टा हस्तांतरित होता है। परियोजना प्रस्तावक को समय–समय पर संशोधित ईआईए

नीति, 2006 के पैरा 11 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी के हस्तांतरण के लिए आवेदन करना होगा।

44. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सर्टिफाईड कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए अप्लाई किया गया है जैसे ही सर्टिफाईड कंप्लायंस रिपोर्ट बनकर आएगी उसे जमा कर दिया जाएगा।

45. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन का भण्डारण हेतु डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न करते हुये ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/01/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 49/2023 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 13/12/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।
2. **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन** योजना – ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.15 मीटर, मात्रा 6,660 घनमीटर है, जिसमें से 4,320 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में 1 मीटर की ऊंचाई तक फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष 2,340 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 362/2, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) में 1 मीटर की ऊंचाई तक भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा।

ओवर बर्डन प्रबंधन योजना – ओवर बर्डन की मोटाई 0.85 मीटर, मात्रा 44,396 घनमीटर है, जिसे लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 361, 341/2, 364/1 क्षेत्रफल 1.62 हेक्टेयर) में 2.74 मीटर की ऊंचाई तक भण्डारित

कर संरक्षित रखा जाएगा, जिसका उपयोग खदान की अवधि समाप्ति उपरांत खदान के पुनःभराव हेतु किया जाएगा।

3. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 865/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 23 खदानें, क्षेत्रफल 51.87 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गोड़पेण्ड्री) का क्षेत्रफल 4.78 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोड़पेण्ड्री) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 56.65 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स स्टारएक्स मिनरल्स (गोड़पेण्ड्री लाईम स्टोन माईन, प्रो.– श्री वजीर सिंह) को ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 342, 347, 348,

349/2, 350, 355, 357, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 360, 492/1, 492/2, 356/1 एवं 356/2 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.78 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–4,99,346 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–05** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स कुडेली ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.–श्रीमती प्रेमावती साहू), ग्राम–कुडेली, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1883)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 246674/2021, दिनांक 23/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21/07/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुडेली, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक खसरा क्रमांक 744, 760/1, 760/4, 750/1 एवं 750/2, कुल क्षेत्रफल–1.24 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 26/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मयंक कुमार राठौर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष बताया गया कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/01/2024 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स स्व. बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, अण्डर पी.एम.एस.एस.वाए., फेज–IV), ग्राम–डिमरापाल, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 1403)

ऑनलाईन आवेदन– प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 174475/ 2020, दिनांक 26/09/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल (अण्डर पी.एम.एस. एस.वाए., फेज–IV) है। यह हॉस्पिटल ग्राम–डिमरापाल, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 81 एवं 82, प्लॉट एरिया–41,556.4 वर्गमीटर में प्रस्तावित बिल्टअप क्षेत्रफल 26,787.27 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 82 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. प्रस्तावित ले–आउट में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त

सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सार्थक दानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - निकटतम रेलवे स्टेशन जगदलपुर 7.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.3 कि.मी. दूर है। जगदलपुर एयरपोर्ट 9.7 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
2. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार शासकीय भूमि रकबा 2.35 हेक्टेयर तथा शासकीय वन भूमि रकबा 2.25 हेक्टेयर है। प्रस्तावित सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Area Statement	Details (Square meter)	Percentage (%)
1.	Constructed Area (Ground Coverage)	4,232.76	10.19
2.	Open Area	9,260.93	22.27
3.	Parking Area	5,916	14.24
4.	Road and Paved Area	8,422	20.27
5.	Green Belt	13,724.71	33.03
6.	**Total Plot Area**	**41,556.4**	**100**

4. **फ्लोर संबंधी विवरण –**

Floor	FSI Area (Square meter)	Non - FSI Area (Square meter)
Basement	670.31	40.15
Ground Floor	2,483.86	354.74
First Floor	2,068.36	354.74
Second Floor	2,174.86	354.74
Third Floor	2,068.36	354.74
Fourth Floor	2,484.26	354.74
Fifth Floor	1,943.73	354.74
Sixth Floor	1,691.06	354.74
Seventh Floor	1,620.06	354.74
Eight Floor	1,620.06	354.74
Ninth Floor	1,620.06	354.74
Tenth Floor	1,620.06	354.74
Terrace	-	212.52

Service Block	-	567.42
Total	**22,065.04**	**4,722.23**
Total BUA (FSI+Non-FSI)	**26,787.27**	
Total Plot Area (At Actual)	**41,556.4**	

5. कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 633/न.ग्रा.नि./अभि./2019/2019 जगदलपुर, दिनांक 17/05/2019 द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र नगर निगम के कार्य क्षेत्र के बाहर होने के कारण भवन निर्माण की अनुमति कार्यालय कलेक्टर, जिला–जगदलपुर से प्राप्त की गई है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढ़क कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

7. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

   - **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 518 घनमीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर 273 घनमीटर प्रतिदिन तथा रिसायकल वॉटर 245 घनमीटर प्रतिदिन) की आवश्यकता होगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

   - **जल प्रदूषण नियंत्रण** – दूषित जल की मात्रा 270 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 300 घनमीटर प्रतिदिन एवं इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित होना बताया गया। दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण (इकाईवार), उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं की गई है।

   - **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

     (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

     (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

9. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 2,700 के.व्ही.ए. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2,700 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा।

10. **वृक्षारोपण की स्थिति** – परिसर के चारों ओर तथा पहुंच मार्ग में हरित पट्टिका का विकास क्षेत्रफल 13724.71 वर्गमीटर (कुल क्षेत्रफल का 33.03 प्रतिशत) में किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित ले–आउट के अनुसार परिसर के चारों न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी के विकास का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

11. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाएगा। सोलर वॉटर हीटर की स्थापना की जाएगी। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है।

12. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु संभावित जल की मात्रा की गणना करते हुए पीटों की संख्या सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रकरण हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण का है। प्रस्तावित क्षेत्र से जगदलपुर एयरपोर्ट की हवाई दूरी लगभग 8 कि.मी. है। इस हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तावित सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज–I की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों/प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. प्रस्तावित ले–आउट में वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संग्रहण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 10/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. प्रस्तावित सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज–I की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों/प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. प्रस्तावित ले–आउट में वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. से छूट दिये जाने का अनुरोध किया गया है।
6. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संग्रहण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामबाबू, कार्यपालन अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. प्रस्तावित सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज–I की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र में से शासकीय वन भूमि रकबा 2.25 हेक्टेयर को घटाकर 0.99 हेक्टेयर क्षेत्र किया गया है। शासकीय वन भूमि 0.99 हेक्टेयर के उपयोग हेतु कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन दिनांक 29/03/2019 द्वारा भूमि प्रदाय की गई है। अतः वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज–I की आवश्यकता नहीं है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर पालिक निगम, जगदलपुर के क्षेत्र से बाहर होने तथा प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग हेतु ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण भवन निर्माण अनुज्ञा

कलेक्टर व अध्यक्ष, हाई राईज समिति, जिला–बस्तर का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रस्तावित ले–आउट में वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संग्रहण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन दिनांक 29/03/2019 द्वारा अस्पताल निर्माण हेतु 0.99 हेक्टेयर वन भूमि, पत्र जारी दिनांक से 1 वर्ष हेतु प्रदाय की गई थी, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। अतः वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. मेडिकल कॉलेज के लिए वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र (पुनरीक्षित) को ले–आउट में प्रदर्शित करते हुए (खसरा आदि का उल्लेख करते हुए), न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संग्रहण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./1592 जगदलपुर, दिनांक 15/04/2021 द्वारा जारी पत्र अनुसार "इस कार्यालय द्वारा अस्पताल निर्माण हेतु वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) खसरा क्रमांक 82, रकबा 0.99 हेक्टेयर राजस्व भूमि दिया गया है, जिसे जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है। चूंकि उपरोक्त भूमि का

अधिपत्य निश्चित समयावधि (दिनांक 01/04/2019) में आपके द्वारा कर लिया गया है और वर्तमान समय में भी आपके अधिपत्य में है। अतः उक्त भूमि का नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है।" होना बताया गया है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो रहा की प्रस्तावित परियोजना हेतु खसरा क्रमांक 81 का क्षेत्रफल एवं खसरा क्रमांक 82 का कितना–कितना क्षेत्रफल है तथा उक्त में से कितना क्षेत्रफल वनभूमि एवं राजस्व भूमि के अंतर्गत है? अतः इस संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

2. मेडिकल कॉलेज के लिए वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र (पुनरीक्षित) को ले–आउट में प्रदर्शित करते हुए (खसरा आदि का उल्लेख करते हुए), न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की कुल संख्या 2,059 नग तथा क्षेत्रफल 1.112 हेक्टेयर का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रथम वर्ष में 1,000 नग, द्वितीय वर्ष में 559 नग एवं तृतीय वर्ष में 500 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
8200	2%	164	**Following activities at Skill & Economic Development Activities**	
			Arrangement for vocational training to interested local youth	8.20
			Computer Literacy and Assistance to Youth SHGs	8.20
			Provision of Market linkage for selling the products through training center	8.20
			Total	**24.60**
			Education facility	
			Donation of computers, books, furniture to village schools	16.40
			Donation of stationary, books, scholarships to needy students	16.40

			Maintenance/Repair of village school buildings	13.12
			Provision of RO System	11.48
			Total	**57.40**
			Solid Waste Management Area	
			Solid Waste Treated Through Septic Tank Via Soak Pit	11.48
			Disposal of solid wastes	9.84
			Total	**21.32**
			Rain Water Harvesting	
			Surface Water / Runoff Harvesting Techniques	9.84
			Rooftop Water Collection / Rainwater Cistern	5.74
			Water Harvesting Pond / Storage Tank	5.74
			Total	**21.32**
			Women empowerment	
			Assistance to Woman SHGS	8.20
			Vocational Training	8.20
			Total	**16.40**
			Plantation in Community areas	
			Site Prep, Tree Purchase	8.20
			Tree maintenance Mulching	8.20
			Tree maintenance Watering	6.56
			Total	**22.96**
			Grand Total	**164.00**

4. उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 23,324 घनमीटर है। प्रस्तावित परियोजना हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर विथ बोरवेल (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 5 नग रिचार्ज वेल (व्यास 1.52 मीटर एवं गहराई 3.05 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

5. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ए.के.ए. कन्सलटेंटस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, इंदौर (मध्यप्रदेश) द्वारा दिनांक 10/02/2021 द्वारा जारी पत्र अनुसार "Under the provision of rule 62(C) (Table 8) of the Chhattisgarh Bhumi Vikash Rules (1984), as per which no NOC is required from airport authority of India (AAI) for the building located

more then 2224 M from the nearest Civil Airport and not exceeding the height of 152 M.

In this regard, we have obtained a coordinate certificate from Survey of India, Which mentions that the aerial distance between the above mentioned site and the nearest airport is 9.7 KMs. Hence as per the said guidelines we are not required to obtain NOC from AAI." की प्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तावित परियोजना हेतु खसरा क्रमांक 81 का क्षेत्रफल एवं खसरा क्रमांक 82 का कितना–कितना क्षेत्रफल है तथा उक्त में से कितना क्षेत्रफल वनभूमि एवं राजस्व भूमि के अंतर्गत है? इस संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित परियोजना द्वारा 0.99 हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित निर्माण हेतु उपयोग में ली गई है, वह कौन से खसरे की है? स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए।
4. वास्तव में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित भूमि हेतु ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/01/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तावित परियोजना हेतु खसरा क्रमांक 81 का क्षेत्रफल एवं खसरा क्रमांक 82 का कितना–कितना क्षेत्रफल है तथा उक्त में से कितना क्षेत्रफल वनभूमि एवं राजस्व भूमि के अंतर्गत है? इस संबंध में स्पष्ट जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:–

S No.	Khasra No.	Forest land area (m^2) (a)	Revenue land area (m^2) (b)	Area of site demarcation (m^2) (c) =(02+03)	Area of site (as per survey) (m^2) (d)	Net Area of site (as per survey) (m^2) (e)	Built-up Area of site (as per survey) (m^2) (f)	For proposed project
01.	81		23,500	44,750 (11.06 acres)	42,970.5 (10.62 acres)	41,556.4 (10.27 acres)	26,787.27	Hospital Building
02.	81/1 part of 81		22,250					Hospital Building

03.	82							
i.		9,900						Hospital Building
ii.		8,920						Community Centre
iii.		2,680						Road work
Total		**22,500**						
Total								

2. प्रस्तावित परियोजना द्वारा 0.99 हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित निर्माण हेतु उपयोग में लिया जाने वाला खसरा क्रमांक 82 है। इस संबंध में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्र./मा.चि. /1257/जगदलपुर, दिनांक 29/03/2019 द्वारा अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत् अस्पताल निर्माण हेतु वन भूमि प्रदाय बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार "उक्त कार्य एक वर्ष के भीतर प्रारंभ नहीं किया जाता है तो स्वीकृति स्वयं निरस्त हो जायेगा।" का उल्लेख है।

इस संबंध में समिति का मत है कि वन विभाग द्वारा अस्पताल निर्माण हेतु उक्त जारी पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है। साथ ही समिति द्वारा यह भी पाया गया कि सामुदायिक केन्द्र निर्माण हेतु खसरा क्रमांक 82, रकबा 0.992 हेक्टेयर सड़क निर्माण हेतु खसरा क्रमांक 82, रकबा 0.268 हेक्टेयर के लिए वन विभाग द्वारा जारी पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है। अतः समिति का मत है कि वन विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु वैध पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

AREA CALCULATION					
S. no.	**Block**	**Ground Coverage**	**Floor No.**	**Total Built-Up Area**	**Height**
		(m^2)	Numbers	(m^2)	(m)
1.	Hotpital	3,133.46	B+G+10	22,065.04	47.55
2.	Service Block	799.9	G	567.42	-M
3.	STP/ETP	300	LG	300	-M
TOTAL		**4,232.76**		**22,065.04**	

4. वास्तव में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित भूमि हेतु ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वन विभाग द्वारा वन भूमि में निर्माण कार्य हेतु वैध पत्र की प्रति (वन कक्ष क्रमांक तथा क्षेत्रफल आदि का उल्लेख करते हुये) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया गया है? तो उसकी भी विस्तृत जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कुलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स लालवानी ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज (प्रो.– श्री सुनील लालवानी, लालवानी ब्रिक अर्थ क्वारी) को खसरा क्रमांक 487, 488, 489/1, 492 एवं 493, ग्राम–पिरैया, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्र 1.574 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 2,114 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.574 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 2,114 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. लीज क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि (Activity) नहीं किया जाए। लीज क्षेत्र के बाहर की गतिविधि (Activity) शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में भी 50 प्रतिशत की दर से मिट्टी और फ्लाई ऐश का उपयोग कर ईंट निर्माण किया जाए।
9. फिक्स चिमनी की ऊँचाई कम से कम 33 मीटर रखा जाए।
10. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किया जाए।
11. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किया जाए।
12. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी

परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

13. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

14. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

15. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

16. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू–भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।

17. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जावें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उड़कर आस–पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस–पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

18. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

19. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

21. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
43	2%	0.86	Following activities at, Govt. Middle school, **Village- Piralya**	
			Plantation	5.07
			Total	**5.07**

23. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर वृक्षारोपण (पीपल, नीम, आम, जामुन, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 110 नग पौधों के लिए राशि 8,360 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 85,000 रूपये, खाद के लिए राशि 840 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 72,000 रूपये, अन्य कार्य हेतु राशि 10,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,76,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,31,704 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

25. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 323 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

28. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 300 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

29. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

30. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

31. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

33. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

34. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।

35. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.

ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR BUILDING PROJECT BY M/S LAXMI ASSOCIATES (UTOPIA TOWNSHIP PROJECT) AT VILLAGE- POTIYAKALA, TEHSIL & DISTRICT- DURG IN PROJECT AREA – 4.9168 HA FOR THE PROPOSED BUILTUP AREA – 35,567.35 M^2

This environmental clearance is being given subject to the following conditions. These conditions should be read very carefully and it should be ensured to follow them strictly.

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance / permission from all relevant agencies including Town & Country planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building bye laws.

ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of Buildings due to earthquakes, adequacy of fire fighting equipment etc as per National Building Code including protection measures from lightening etc.

iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/ Committee.

iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water / surface water required for the project from the competent authority.

v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.

vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.

vii. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (as amended) and the Plastic Waste (Management) Rules, 2016 (as amended) shall be followed.

viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power strictly. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

i. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi notification GSR 94(E) dated 25/01/2018 of regarding mandatory implementation of dust mitigation measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance shall be complied.

ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$) covering upwind and downwind directions during the construction period.

iv. Diesel power generating sets proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets shall not be less than 10 meter. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures (for eg. Dust sprinkling, covering with green net etc.) shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles

bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.

vi. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

vii. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

ix. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

x. The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xi. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water Quality Monitoring And Preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rainwater.

ii. Design of Buildings shall follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.

iii. At the time of operation phase, the total fresh water requirement shall not exceed the capacity of 73 m^3/day.

iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.

v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed, the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.

vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

viii. Use of water saving devices/ fixtures (viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan

ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xi. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Byelaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table. Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings & residential blocks to be constructed by individual owners. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.

xiii. The project proponent shall complete construction of rainwater harvesting structure within four months.

xiv. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xv. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xvi. Sewage shall be treated in the STP with tertiary treatment. Chlorination shall be used for disinfection. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, AC make up water and gardening after disinfection. As proposed, no untreated water shall be disposed into municipal drain. As far as possible, zero discharge condition shall be maintained. Project proponent shall construct pucca drain upto nearest municipal drain. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.

xvii. The capacity of Sewage Treatment Plant Capacity shall not be less than 125 m^3/day.

xviii. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xix. Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be submitted to the Ministry before the project is commissioned for operation. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Natural treatment systems shall be promoted.

xx. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.

xxi. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose.

IV. Noise Monitoring And Prevention

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB / SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground-run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation Measures

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.

iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

iv. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

v. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level / local building bye-laws requirement, whichever is higher.

vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

i. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the M.S.W. generated from project shall be obtained.

ii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

iii. Construction waste will be segregated into recyclable / reusable & discarded material. Recyclable material will be sold to authorized dealers. Re-usable material will be stored under covered conditions at site & reject will be disposed off at the designated location by DMC. Waste will be transported in covered vehicles.

iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials. Waste will be collected & stored in a separate covered area & will be disposed by municipal corporation.

v. All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.

vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

vii. Use of fly ash based bricks / blocks / tiles / products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of notification issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India regarding use of fly ash must be complied with. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash / pond ash shall be used for low-lying areas filling. In embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Pollution Control Board / Indian Road Congress etc. concerning authorities.The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.

viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003, 25th January, 2016 and 31st December 2021 and 30th December 2022. Ready mixed concrete must be used in building construction.

ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.

x. Used CFLs, LEDs and TFLs should be properly collected and disposed off / sent for recycling as per the prevailing guidelines / rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

i. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolutely necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).

ii. Green belt shall be developed in an area equal to 10 % of the net planning area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the constructed. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

iv. Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, aved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.

VIII. Transport

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

   a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.

   b. Traffic calming measures.

   c. Proper design of entry and exit points.

   d. Parking norms as per local regulation.

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. A detailed traffic management and traffic decongestion plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the roads within a 05 kms radius of the project is maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of all development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management plan shall be duly validated and certified by the State Urban Development department and the P.W.D./ competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

iv. The project proponent shall use covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of construction materials and C& D wastes.

IX. Human Health Issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

iv. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
11,500	2% of 100 crore + 1.5% of 15 crore	222.5	Following activities at,	
			Development of Pond at khasra no. 171 of village Devada	45.00
			Eco park at khasra no. 170 of village Devada	192.77
			Total	**237.77**

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of

Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XI. Additional Conditions

i. Local persons shall be given employment during development and operation of the site.

ii. No additional land shall be acquired for this project.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. Project proponent shall constitute a monitoring committee comprising of representatives of all stake holders i.e. Gram Panchayat, villagers, school teachers / management, workers, transporters and factory management etc. This committee shall monitor the conditions stipulated in the environmental clearance, environmental protection measures adopted, socio-economic development activities / community development programmes undertaken etc. The committee shall monitor the above matters at-least once in a month; during which, factual situation regarding above matters will be discussed. The proceedings of the committee shall be recorded in writing along with suggestions (if any). Project management shall take immediate action on the basis of observations / suggestions of the committee. A copy of the proceedings of the committee shall be submitted to Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur for information.

xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvi. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR BUILDING PROJECT BY M/S GINNI DEVI GOEL FOUNDATION (GINNI DEVI GOEL MANIPAL HOSPITAL) AT VILLAGE - PARSULIDIH & BARONDA, TEHSIL - DHARSIWA & DISTRICT-RAIPUR IN PROJECT AREA – 3.86 HA FOR THE PROPOSED BUILTUP AREA – 42,489.63 M^2

This environmental clearance is being given subject to the following conditions. These conditions should be read very carefully and it should be ensured to follow them strictly.

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance / permission from all relevant agencies including Town & Country planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.

ii. Project proponent shall only start the construction of project upto builtup area of 26,336.18 m^2. Project proponent shall not exceed the construction builtup area 26,336.18 m^2 without prior building permission from Nagar Nigam. Project proponent shall only start the contruction of builtup area more than 26,336.18 m^2 after prior building permission from Nagar Nigam.

iii. The project proponent shall obtain permission for this project from Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority, Raipur.(If required)

iv. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of Buildings due to earthquakes, adequacy of fire fighting equipment etc as per National Building Code including protection measures from lightening etc.

v. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/ Committee.

vi. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water / surface water required for the project from the competent authority.

vii. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.

viii. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.

ix. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (as amended) and the Plastic Waste (Management) Rules, 2016 (as amended) shall be followed.

x. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power strictly. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

i. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi notification GSR 94(E) dated 25/01/2018 of regarding mandatory implementation of dust mitigation measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance shall be complied.

ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$) covering upwind and downwind directions during the construction period.

iv. Diesel power generating sets proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures (for eg. Dust sprinkling, covering with green net etc.) shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.

vi. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

vii. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

ix. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

x. The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xi. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water Quality Monitoring And Preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rainwater.

ii. Design of Buildings shall follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.

iii. At the time of operation phase, the total water requirement shall not exceed the capacity of 497 m^3/day.

iv. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed, the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

v. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.

vi. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

vii. Use of water saving devices/ fixtures (viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan

viii. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

ix. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

x. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Byelaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xi. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table. Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings & residential blocks to be constructed by individual owners. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.

xii. The project proponent shall complete construction of rainwater harvesting structure within four months.

xiii. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xiv. Water shall be sourced from Raipur Municipal Corporation. No ground water shall be used during construction phase of the project before prior permission from CGWA.

xv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.

xvi. Sewage shall be treated in the STP (bar screen, oil/ grease trap, sewage collection cum equilization tank, MBBR tank, Tube settler, surge tank, pressure sand filter, activated carbon fitler, filter press and sludge drying bed/slurry collection tank) with tertiary treatment. Project proponent shall intall chlorine dosing tank for disinfection. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, AC make up water and gardening after disinfection. Waste water generated from the hospital shall be treated in Effluent treatment plant (ETP). The treated effluent from ETP shall be recycled/re-used for flushing. Project proponent shall intall chlorine dosing tank for disinfection. As proposed, no untreated water shall be disposed into municipal drain. As far as possible, zero discharge condition shall be maintained. Project proponent shall construct pucca drain upto nearest municipal drain. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.

xvii. The capacity of Sewage Treatment Plant Capacity shall not be less than 500 m^3/day (2x250 m^3/day).

xviii. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xix. Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be submitted to the Ministry before the project is commissioned for operation. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Natural treatment systems shall be promoted.

xx. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.

xxi. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose.

IV. Noise Monitoring And Prevention

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB / SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground-run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation Measures

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.

iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

iv. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

v. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level / local building bye-laws requirement, whichever is higher.

vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

i. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the M.S.W. generated from project shall be obtained.

ii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

iii. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.

iv. Organic waste compost/ Vermiculture pit/ Organic Waste Converter within the premises with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.

v. All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.

vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

vii. Use of fly ash based bricks / blocks / tiles / products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of notification issued by Ministry of Environment, Forest

and Climate Change, Government of India regarding use of fly ash must be complied with. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash / pond ash shall be used in low-lying areas filling. In embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Pollution Control Board / Indian Road Congress etc. concerning authorities.The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.

viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003, 25th January, 2016 and 31st December 2021. Ready mixed concrete must be used in building construction.

ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.

x. Used CFLs, LEDs and TFLs should be properly collected and disposed off / sent for recycling as per the prevailing guidelines / rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Bio-Medical Waste Management

i. Project proponent shall follow all the provisions of the Bio-medical Waste Management Rules, 2016(as amended).

ii. Project proponent shall obtain Bio-medical authorization from Chhattisgarh Environment Conservation Board under the provisions of the Bio-medical Waste Management Rules, 2016 (as amended).

Category	Types of waste	Disposal
Yellow	Human anatomical wastes, Soiled wastes, expired or discarded medicines, chemical waste and liquid chemical waste, discarded bed sheets mattress, gown, masks, Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory wastes etc.	Waste will be segregated in a Yellow bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Red	Contaminated plastic wastes etc.	Waste will be segregated in a Red bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
White	Waste sharps including metals etc.	Waste will be segregated in a White bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.
Blue	Metallic body Implants and glasswares etc.	Waste will be segregated in a Blue bag and given to the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.

VIII. Green Cover

i. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolutely necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).

ii. Green belt shall be developed in an area equal to 10 % of the net planning area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the constructed. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

iv. Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, aved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.

IX. Transport

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

   a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.

   b. Traffic calming measures.

   c. Proper design of entry and exit points.

   d. Parking norms as per local regulation.

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. A detailed traffic management and traffic decongestion plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the roads within a 05 kms radius of the project is maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of all development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management plan shall be duly validated and certified by the State Urban Development department and the P.W.D./ competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

iv. The project proponent shall use covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of construction materials and C& D wastes.

X. Human Health Issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

iv. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

XI. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as

applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12000	2% for 100 Cr. + 1.5% for 20 Cr.	230	Following activities at Proposed Land	
			Miyawaki Plantation	134.69
			Oxyzone cum recreational park	95.31
			Total	**230**

Development of "Pavitra-van Nirman" in khasra no. 565 area of 2.8 acre as dense and religious plantaion.

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XII. Additional Conditions

i. Local persons shall be given employment during development and operation of the site.

ii. No additional land shall be acquired for this project.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), Indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. Project proponent shall constitute a monitoring committee comprising of representatives of all stake holders i.e. Gram Panchayat, villagers, school teachers / management, workers, transporters and factory management etc. This committee shall monitor the conditions stipulated in the environmental clearance, environmental protection measures adopted, socio-economic development activities / community development programmes undertaken etc. The committee shall monitor the above matters at-least once in a month; during which, factual situation regarding above matters will be discussed. The procedings of the committee shall be recorded in writing along with suggestions (if any). Project management shall take immediate action on the basis of observations / suggestions of the committee. A copy of the procedings of the committee shall be submitted to Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur for information.

xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvi. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC

मेसर्स कोट आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती रूचि जायसवाल) को खसरा क्रमांक 254 एवं 255, कुल लीज क्षेत्र 1.81 हेक्टेयर, ग्राम–कोट, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 9,975 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.81 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर थर का अधिकतम उत्खनन 9,975 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक

किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

9. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

19. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
9.98	2%	0.20	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village-Kot**	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.25
			Running Water Facility for Toilet	0.18
			Total	**0.43**

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

24. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,054 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

25. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली,**

अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 360 नग पौधों का रोपण (कुल 1,414 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षो तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

26. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

28. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

31. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

32. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

34. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

35. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

36. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

37. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

40. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

42. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

44. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981,

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

45. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

46. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

47. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट–05

मेसर्स स्टारएक्स मिनरल्स (गोड़पेण्ड्री लाईम स्टोन माईन, प्रो.– श्री वजीर सिंह) को खसरा क्रमांक 342, 347, 348, 349/2, 350, 355, 357, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 360, 492/1, 492/2, 356/1 एवं 356/2 कुल लीज क्षेत्र 4.78 हेक्टेयर, ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 4,99,346 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.78 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 4,99,346 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी

व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को

उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

20. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्तावित कार्य 5 वर्ष के लिए राशि 9,81,078 रूपये के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
135	2%	2.70	Following activities at, Village- Gondpendri	
			Pavitra Van Nirman	16.819
			Total	**16.819**

23. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम गोड़पेण्ड्री पर (आम, नीम, कदम, पीपल, अमलताश, आंवला एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 76,000 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 2,10,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये, ओपन जिम उपकरण के लिए राशि 1,00,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,91,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,84,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,97,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत

गोड़पेण्ड्री के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 718/1, क्षेत्रफल 0.43 हेक्टेयर के कुछ भाग में) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

25. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

27. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,480 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

28. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 960 नग पौधों का रोपण (कुल 2,440 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षो तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

29. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

30. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

31. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

34. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

35. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

38. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

39. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

40. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.